389 Radha Baraik 378 1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

Attested
Radha Saha
Adv.
07/04/11

[illegible] रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा ...46 (1) P.D.(?) ... [illegible]
[illegible] 1899 की अनुसूची
1 का 1 क संख्या 23 E A With the Permission by S.D.O Simdega Vide case No 368/2010-11 order dated 16.3.11 [illegible]

7.4.11

[illegible]

7.4.11

(1) लेख्यकारी :- श्री सुधीर तिर्की पिता स्व० फ्रांसिस तिर्की जाति मुण्डा पेशा खेती बारी निवास गांव गोतरा ठाकुर टोली थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा ------------ विक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या ---------216---------/ 2011

पहचान इग्नेसियस तिर्की पिता ... तिर्की ग्राम गोतरा ठाकुर टोली थाना + जिला सिमडेगा। ता० 7-4-11

सुधीर तिर्की 7.4.11

0003 24/11

ब्लिकत 115 को 22.3-11

128/11

जिला कोषागार

22 MAR 2011

सिमडेगा

सुधीर तिर्की

स्व. फ्रासिस तिर्की

4800/-

24/2011

1000 × 4 = 4000-00

500 × 1 = 500-

100 × 3 = 300-

कुल 4800-

Attested
Ranjan
Adv.
07/04/11

7.4.11 10 to 1

सुधीर तिर्की

स्व. फ्रासिस तिर्की

गोपुरा ... सिमडेगा

नुकरटोली

MSP
7.4.11

1000Rs.

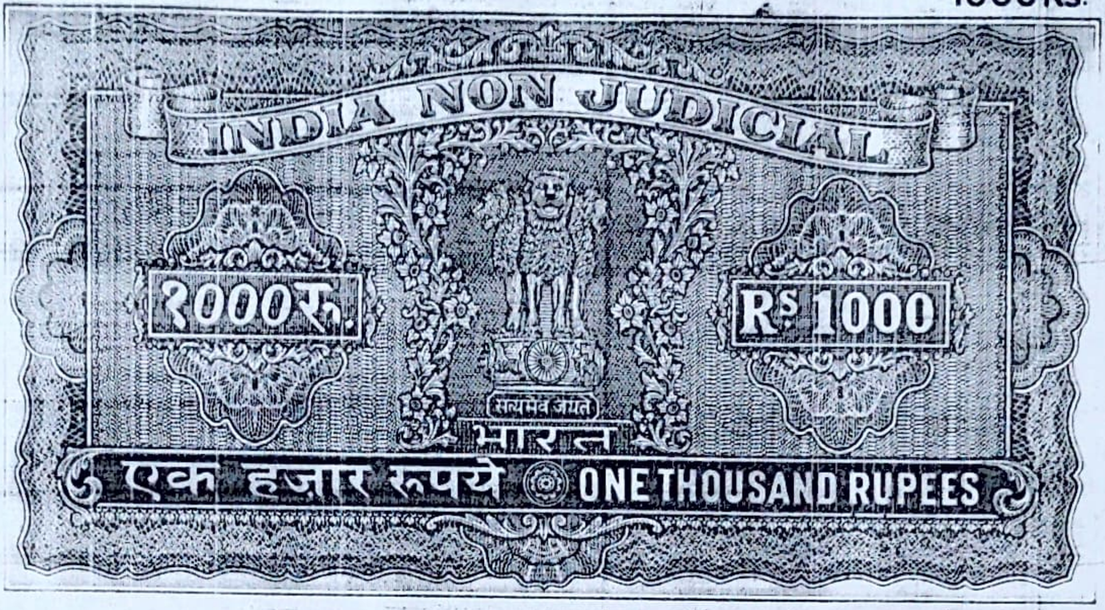

§2§ लेख्यधारी :- श्री राधा बड़ाईक पिता स्व0 मंगरनाथ बड़ाईक जाति चीक बड़ाईक पेशा नौकरी निवास गांव टभाडीह थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा - भारतीय नागरिक ------- क्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या ----217---------/ 2011

§3§ लेख्य प्रकार :- विक्रय-पत्र केवाला बैला कलामी पुत्र-पुत्रादिक हमेशा के लिए ।

§4§ मूल्य :- मोबलिग एक लाख बीस हजार रूपये अंकें 1,20,000/- रूपये जिसका आधा मोबलिग साठ हजार रूपये अंकें 60,000/- रूपये होता है ।

§5§ सम्पति :- परिमाण 0.10 एकड़ § दस डिसमिल § जमीन हकियत रैयती मय दखली खतियानी वाके मौजा गोतरा भोगाता टोली थाना नं0 80 थाना सिमडेगा सदर रजिष्ट्री ऑफिस वो जिला सिमडेगा के अन्दर खाता नं0 102 § एक सौ दो § प्लाट नं0 § 2496 § चौबीस सौ छियानबे § रकबा 1.43 एकड़ में से रकबा 0.10 एकड़ § दस डिसमिल § जमीन जिसकी चौहद्दी :-

गवाह - राजेश्वर सिंह पिता स्व पतरस सिंह ग्राम ठाकुर टोली थाना + जिला सिमडेगा ता. 7-5-11

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

उत्तर :- टांड़ इसी प्लाट का अंश नीज विक्रेता,

दक्षिण :- टांड़ इसी प्लाट का अंश नीज विक्रेता,

पूरब :- दोन प्लाट नं0 2495

पश्चिम :- परती प्लाट नं0 2515

कुल एक खाता का एक प्लाट का टुकड़ा रकबा 0.10 एकड़ सिर्फ जिसका मालगुजारी सालाने 02 पैसे अलावे शेषा । वर्णित विक्रीत जमीन आबादीय है जिस पर मकान अथवा किसी प्रकार का निर्माण नहीं हुआ है ।

§1§ चूंकि मुझे इस समय मकान बनाने के वास्ते रुपये की अति आवश्यकता है इसलिए मैंने वर्णित जमीन का कुल मूल्य मो0 1,20,000/- रुपये नगद भुगतान पाकर उपर्युक्त लेख्यधारी श्री राधा बड़ाईक के पास रैयती बेचा और अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रह कर यह विक्रय-पत्र केवाला दस्तावेज लिखा दिया कि प्रमाण रहे ।

§2§ चूंकि हम दोनों पक्ष आदिवासी समुदाय के रैयत है अतः जमीन बिक्री हेतु आवश्यक अनुमति का आवेदन सी0एन0टी0वाद संख्या 368/2010-11 श्रीमान् अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के न्यायालय

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

-: 4 :-

मैंकिया जिसकी स्वीकृत्यादेश दिनांक 16-3-11 ई0 को हुई और मेमो नं0 274§11§ रेव0 दिनांक 16-3-2011 के अनुसार मुझे तथा जिला सब रजिष्ट्रार, सिमडेगा को प्रतिलिपि भेजी गई । उक्त वाद संख्या सी0एन0टी0एक्ट अन्दर दफा 46 के तहत् श्रीमान् अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के न्यायालय में चला था ।

§3§ मैं, प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित विक्रीत जमीन मेरी पुत्तैनी खातियानी है जो मेरे दादा पंडरा मुण्डा के नाम सर्वे खातियान में नाप दर्ज है और वर्तमान जमाबंदी मेरे पिता के नाम कायम है तथा सरकारी मालगुजारी रसीद कटती है । वर्णित जमीन मेरे पिता के हिस्से की थी जिसे उनके मृत्योपरान्त उत्तराधिकारी के हैसियत से प्राप्त किया और उस पर मेरा निर्विवाद रूप से दखल वो कब्जा है ।जमीन मेरे हिस्से की है जिस पर किसी प्रकार का झगड़ा झंझट या भार नहीं है । अब से उस पर सारा हक वो दखल कब्जा लेख्यधारी को हस्तान्तरित कर दिया अब से उस पर मेरा किसी प्रकार का दखल कब्जा वो हक अधिकार नहीं रहा न रहेगा और न भविष्य में मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का ।

500Rs.

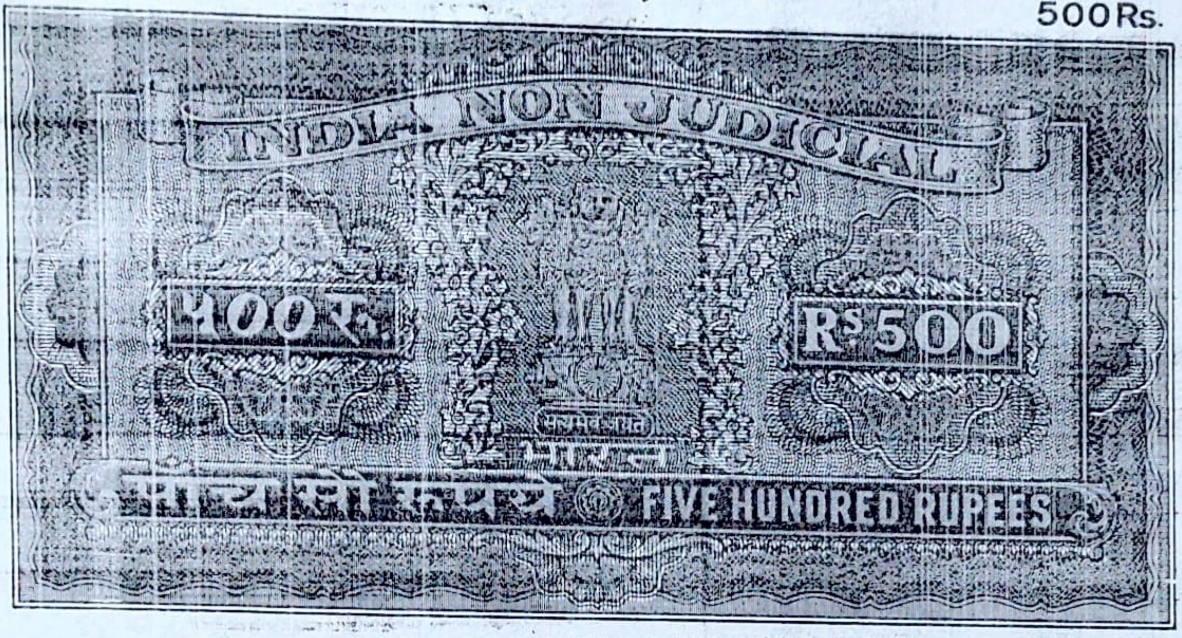

(4) चाहिए कि लेख्यधारी वर्णित जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर वो रह कर मकान सहन, कुआं बारी आदि बनावें वो जैसा मन चाहें अपने उपयोग में लावें वजरिये झारखण्ड सरकार के जमींदारी सिरिस्ते अंचल कार्यालय सिमडेगा से तारीख लेख्य से दाखिल खारीज करा कर मालगुजारी की रसीद खास नाम से हासिल करें ।

लेख्यकारी के कहे अनुसार इस विक्रय-पत्र केवाला दस्तावेज का प्रारूप तैयार कर दोनों पक्षों को उनके गवाहों के सामने पढ़ कर सुना वो समझा दिया जिसे स्वीकार किये ।

प्रारूप कर्त्ता,

Rash Sah
Adv.

तारीख - 07/04/11

100 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

मैं, लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि वर्णित

विक्रीत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सही -

सुधीर [illegible]

6.4.99

प्रमाणित किया जाता है कि सुधीर [illegible]

के बायें हाथ के पाँचों अंगुलियों की

छाप मेरे सामने लिया गया है ।

[illegible]

अधिवक्ता

07/04/11

सुधीर [illegible]

6.4.99

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.   Rs 100

सत्यमेव जयते
भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

-: 7 :-

मैं, लेखधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व धारित वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सही - राधा कड़ाइक
ता० 7-4-2011

प्रमाणित किया जाता है कि राधा कड़ाइक का बायाँ हाथ का पाँचों अंगुलियों का छाप मेरे सामने लिया गया है।

राजेश्वर साहु
अधिवक्ता
07/04/11

100Rs.

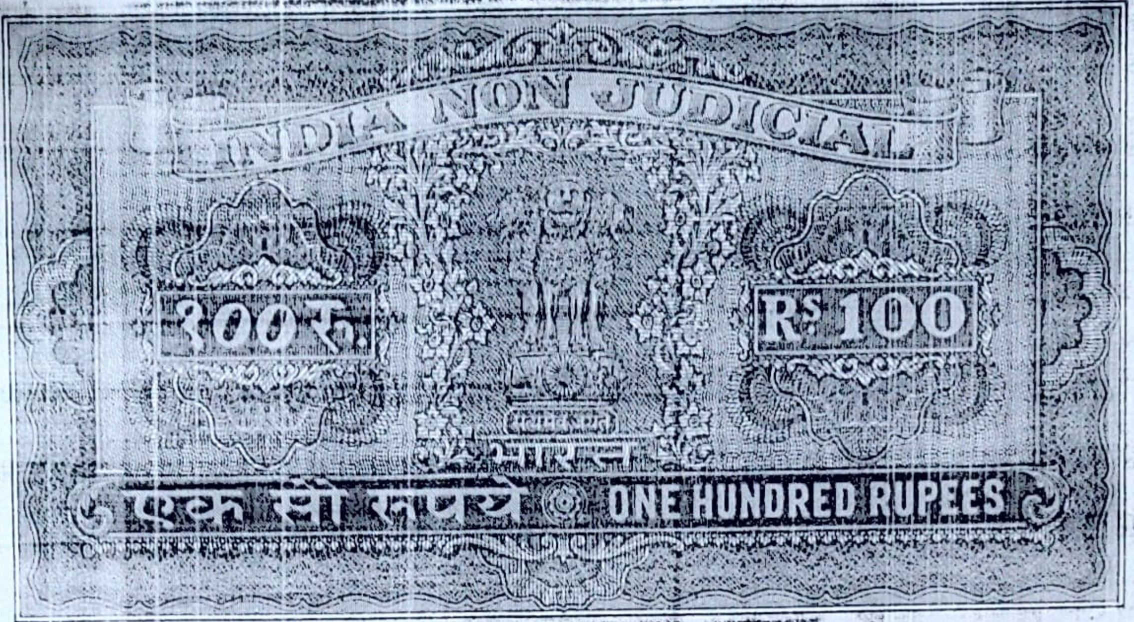

प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के कुल 8 पृष्ठों में कुल 554 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो जब्बान सहित है ।

टंकक -

ह0/-

(नारायण दास)

कचहरी परिसर, सिमडेगा ।